



वैश्वीकरण के सामाजिक-सांस्कृतिक प्रभाव

डॉ. योगमाया उपाध्याय

वैश्वीकरण या भूमण्डलीकरण एक बहुआयामी खुली प्रक्रिया है कुछ विचारक इसे एक आर्थिक अवधारणा मात्र समझते हैं। उनके लिए वैश्वीकरण-उदारीकरण है, निजीकरण है और निवेश है। कुछ अन्य विचारक वैश्वीकरण का अर्थ सांस्कृतिक आदान-प्रदान के सन्दर्भ में निकालते हैं और कुछ की दृष्टि में वैश्वीकरण या भूमण्डलीकरण वह वृहद सामाजिक प्रक्रिया है जो सम्पूर्ण मानव जीवन को अपने अंदर समा लेती है आज भी अंतराष्ट्रीय जगत में यह धारणा बनी हुई है कि कुछ राष्ट्र (राज्य) प्रभुत्वशाली होते हैं और कुछ सर्वोत्तम प्रभुत्वशील राष्ट्र/राज्यों पर थोपना चाहते हैं। ऐसे प्रभुत्वशील राष्ट्र/राज्यों के लिए वैश्वीकरण एक उपयुक्त और अनुकूल प्रक्रिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका इसका एक अच्छा दृष्टान्त हैं। सामान्य तौर पर वैश्वीकरण या भूमण्डलीकरण का अभिप्राय भूमण्डल के विभिन्न देशों के मध्य आर्थिक सम्बन्धों को विकसित करने वाली प्रक्रिया से है। आमतौर पर वैश्वीकरण की प्रक्रिया का सम्बन्ध आर्थिक जगत से माना जाता है। लेकिन सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन की यह प्रक्रिया समाज के अन्य क्षेत्रों से भी सम्बन्धित हो सकती है।

वैश्वीकरण वर्तमान आधुनिक युग की पहचान है या कहें तो वैश्वीकरण आधुनिक का प्रतिनिधि है। वैश्वीकरण की अवधारणा का समाजशास्त्र में प्रवेश मुश्किल से दो तीन दशक पुराना है। वैश्वीकरण ने जहाँ हमें एक अंतराष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सूत्र में बांधा है, वही इसने हमारी दैनिक क्रियाओं को भी प्रभावित किया है। कहीं सकारात्मक रूप में वैश्वीकरण एक ऐसी व्यापक सामाजिक प्रक्रिया है जो सम्पूर्ण मानव जीवनक को स्वयं में समाहित कर लेती है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से वैश्वीकरण की अवधारणा का विश्लेषण करने वाले सर्वप्रथम समाजशास्त्री एंथनी गिड्डेन्स हैं। गिड्डेन्स उत्तर आधुनिक समाजशास्त्री हैं। गिड्डेन्स ने अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक "The Consequences of modernity, 1990 वैश्वीकरण प्रस्तुत भी है।"

"विभिन्न लोगों एवं विश्व के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य बढ़ती हुई पारस्परिकता ही वैश्वीकरण है। यह पारस्परिकता सामाजिक-आर्थिक सम्बंधों में निहित होती है। इसमें समय एवं स्थान का कोई महत्व नहीं होता।"

- बेलरस्टेन (wellerstain, Historical Capitalism, 1983) – "वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जो पूंजीवाद के विस्तार एवं उसकी समृद्धि के कारण उत्पन्न हुई है।"

- इन्टरनेशनल सोशियोलॉजी “शोध को उपयोगी बनाने और विश्व को समझने हेतु वैश्वकीकरण को बहुलवादी (Plural) होना ही पड़ेगा। वैश्वीकरण का सम्बन्ध ऐतिहासिक सामाजिक प्रक्रियाओं तथा व्यवहार से हैं।”
- यूरोपियन कमीशन – “वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है। जिसके द्वारा विभिन्न राष्ट्रों के बाजार और उत्पादन पारस्परिक रूप से एक दूसरे पर अधिक निर्भर रहते हैं। तथा इस निर्भरता का कारण व्यापार तथा वस्तुओं की गतिशीलता और पूंजी तथा तकनीकी तन्तु का प्रवाहित होना है।”

एक विश्वव्यापी व्यापार विधा के रूप में वैश्वीकरण यद्यपि एक नवीन अभिगम है किंतु इसकी जड़े द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के पांच दशकों में निहित हैं। 1960 के दशक को समाज वैज्ञानिकों और नीति नियोजकों ने वृद्धिकाल के रूप में देखा , 1970 को आधुनिकीकरण 1960 के दशक को सामाजिक रूपांतरण और विकास तथा 1990 के दशक को संवाहनीय विकास के रूप में व्याख्यायित किया और अन्ततः इस दशक के उत्तरार्ध अर्थात् 20वीं सदी के समापन के दौर में उदारीकरण और निजीकरण पर विशेष बल देते हुए वैश्वीकरण का उद्घोष किया। वैश्वीकरण को आगे बढ़ाने वाले प्रमुख प्रेरक हैं:— (I) बाजार की खोज (II) बहुराष्ट्रीय विनिवेश (III) प्रौद्योगिकी , इलेक्ट्रॉनिक के नये उपकरण और कम्प्यूटर से जुड़ा विश्व सूचना संकूल (Computer Network)।

वैश्वीकरण का सवैधिक विरोधाभास पहलु है सामाजिक—आर्थिक विषमता , असमानता , अन्याय , असुरक्षा जो विश्व समाजों की अर्थव्यवस्था , शासनतंत्र और समाज संरचना में व्याप्त हैं। औद्योगिक रूप से विकसित देश सम्पूर्ण विश्व जनसंख्या के 20 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हुए हैं। उत्तरी अमेरिका , ब्रिटेन , फ्रांस , जर्मनी , इटली जैसे देश औद्योगिक अर्थव्यवस्था से ऊपर उठकर उद्योगान्तर अर्थव्यवस्था (Post-Internation Economy) के रूप में आविभूत हुए हैं। ये देश अपने उत्पादनों की बिक्री हेतु त्वरित बाजार क्षेत्र की आवश्यकता से व्याकुल हैं। पश्चिमी के इन राष्ट्रों के लिए विकासशील देश जैसे लैटिन अमेरिका , अफ्रीका और एशिया के देश विकल्प बाजार के क्षेत्र के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में विकासशील देश तकनीकी—इलेक्ट्रॉनिक साम्राज्यवाद के इच्छुक नहीं हैं।

वैश्वीकरण और कल्याणकारी राज्य :- समाजवादी एवं कल्याणकारी राज्यों से जुड़े सामाजिक न्याय के सिद्धांत को वैश्वीकरण के कार्यक्रम में कोई स्थान नहीं है। तकनीकी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों एवं संसाधनों जैसे कम्प्यूटर , ईमेल , इन्टरनेट आदि भी सुलभता समान रूप से एवं यथापेक्षित सभी विश्व राष्ट्रों को सुलभ नहीं है। अनुसंधान एवं विकास (Research and Development) आज किसी भी अर्थव्यवस्था की प्रगति के लिए संजीवनी शक्ति (life blood) है। इस दिशा में प्रायः पश्चिम के बहुराष्ट्रीय लोगों की ही पहल है। ऐसी स्थिति में विकासशील देशों की शक्ति संरचना में भागीदारी और नीति निर्धारण में साझेदारी से वंचित पहने की बहुल सम्भावनाएं हैं। फलतः बहुराष्ट्रीय निगमों एवं कम्पनियों का वर्चस्व और आर्थिक एवं बाजार क्षेत्रों में अग्रिम भागीदारी विकसित देशों की ही

दिखाई पड़ रही हैं। वैश्वीकरण उपभोक्तामूलक अर्थव्यवस्था द्वारा अग्रसर हैं जबकि सम्पूर्ण विश्व का 80 प्रतिशत भाग उत्पादन मूलक अर्थव्यवस्था में संलग्न हैं। विकासशील देशों तथा भारत में रह रहे निर्धन , कमजोर वर्ग , कृषि श्रमिक आदि की आवश्यकताओं और आशाओं के लिए यह भ्रामक हैं क्योंकि यह धनी और निर्धन के बीच उग्रवादी चेतना और सामाजिक-आर्थिक दूरी को बढ़ावा देता है।

वैश्वीकरण को अंगीकार करने का सीधा आशय विश्व के बहुसंख्यक समाजों पर सुसंगठित अल्पसंख्यक राष्ट्रों के प्रभुत्व और प्राथमिकता को स्वीकार करना है। वैश्वीकरण या भूमण्डलीयकरण का कार्यक्रम सहभागी प्रजातांत्रिक व्यवस्था के प्रतिकूल हैं क्योंकि विश्व के 80 प्रतिशत जनसंख्या का प्रतिनिधित्व एवं सहभागिता वैश्वीकरण के कार्यक्रम से सम्बन्धित नीति-निर्माण एवं निर्णय में नहीं हैं। प्रव्यतः विकासशील राष्ट्रों ने सीयेटल (अमेरिका) और जनेवा के विश्व व्यापार संगठन के शीर्ष सम्मेलनों में अपनी आपत्ति व्यक्त करते हुए संकेत दिया कि वे विश्व व्यापार संगठन के नियामकों और शर्तों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं क्योंकि ये शर्तें उनकी सामाजिक व आर्थिक स्वतंत्रता पर पाबन्दी लगाती हैं।

बौद्धिक सम्पदा की बहुराष्ट्रीय लागों द्वारा चोरी व तस्करी तथा उन पर अपने द्वारा प्रमाणन की मुहर (**Patent**) लगाना साम्राज्यवादी शोषण से कम नहीं हैं। इसने उदारतामूलक सामयिक वैचारिकी को कमजोर किया है तथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर राष्ट्रों के मन में , पश्चिम के प्रभुत्व और उच्च स्वामित्व की याद दिलाकर उन्हें प्रपीड़ित करता है। पश्चिमी औद्योगिक रूप से विकसित देश वस्तुतः कपट मूलक सहानुभूति के घड़ियाली आंसु , विकासशील देशों की कमजोरियों को प्रकट करते हैं। जबकि विकासशील देशों की संस्कृति , ऐतिहासिक परम्परा राष्ट्रीय अस्मिता व वैचारिकी विकसित राष्ट्रों से नितान्तः भिन्न हैं। वैश्वीकरण का कार्यक्रम पश्चिमी उत्तर औद्योगीकरण के संकट की उपज है जो मानवीय सन्दर्भ और अनुरूपता के सवाल से पृथक है। तृतीय विश्व के देशों को आपसी सहमति के साथ एक शक्ति के रूप में उभरना होगा जिसमें वे 21 वीं शताब्दी की चुनौतियों का सामना कर सकें।

अर्थव्यवस्था से 'मुक्त बाजार' (**Lisser Faire**) की ओर जा रहें हैं। वैश्वीकरण के युग में नई आर्थिक नीति के अन्तर्गत प्रस्तावित सुधारों की भूमिका निश्चित रूप से बढ़ी है, बाजार शक्ति वो अधिक निर्णायक माना गया है और नौकरशाहों एवं राजनीतिज्ञों का प्रभाव कम हुआ है परन्तु इसका यह मतलब नहीं कि सरकार ने अपने वो दायित्वों से मुक्त कर दिया है या उसने हस्तक्षेप करना बंद कर दिया है। दरअसल सरकार कुछ क्षेत्रों में छुट देकर कुछ दूसरों में अपना ध्यान केन्द्रित कर रही हैं। दूसरे शब्दों में वर्तमान आर्थिक सुधारों का उद्देश्य 'औचित्यपूर्ण हस्तक्षेप' है न कि 'मुक्त व्यापार'। राजकोषीय एवं मौद्रिक प्रबंधन , शिक्षा , जनस्वास्थ्य , व्यापार , प्रबन्धन , गैट के अंतर्गत बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय समझौते ,विज्ञान एवं तकनीक , अनुसंधान एवं विकास , वित्तीय क्षेत्र का नियमन बाजार या 'मुक्त व्यापार' नीति पर नहीं छोड़ा जा सकता और न वर्तमान सुधारों के अंतर्गत सरकार ऐसा कर रही है।

वैश्वीकरण व आर्थिक उदारीकरण की वर्तमान प्रक्रिया की सफलता के लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं। सबसे पहले तो जो कुछ भ्रांतियां हैं, उनका निराकरण हो आम जनता से लेकर बुद्धिजीवी तक फिर सुधारों के प्रति सरकार की वचन बद्धता की स्पष्ट एवं नियमित स्वीकारोचित भी आवश्यक है। जिससे सम्बद्ध व्यक्तियों या संस्थाओं में संशय की स्थिति पैदा न हो। और जब आर्थिक सुधारों का दौर चल पड़ा है तो उसका संवेग बनाए रखना चाहिए अन्यथा इनकी गति धीमी पड़ते ही आलोचकों को अवसर मिल जाएगा। किसी क्षेत्र विशेष या वर्ग-विशेष को इससे अधिक लाभ या नुकसान नहीं होना चाहिए। राष्ट्र-निर्माण में सबको समान अंशदान करना चाहिए।

वस्तुतः सुधारों को कठोर उपायों के रूप में नहीं देखना चाहिए, ये आर्थिक सुधार खुली मानसिकता एवं लचीलेपन से प्रेरित हैं, जिनका उद्देश्य परिवर्तनशील आर्थिक परिवेश में जनता के हितों की रक्षा करना है।

वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था के प्रभाव :-

(1) **राष्ट्रीय आय में वृद्धि** – वैश्वीकरण और उदारीकरण ने भारत की राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की है। 2015-16 में देश की राष्ट्रीय आय (वर्तमान मूल्यों पर) 135.67 लाख करोड़ तक पहुँच गई जबकि 2004-05 में यह आय 26.24 लाख करोड़ थी। इसी प्रकार देश में प्रति व्यक्ति आय का सूचकांक आधार वर्ष 1993-94 में 100 था जो वर्ष 2015-16 में बढ़कर 93,231 रुपये हो गया।

(2) **उद्योग-धन्धों का विकास** – आर्थिक विकास की उच्चतर प्राप्त करने के लिए घरेलू पूंजी निवेश बढ़ाने में विदेशी पूंजी निवेश बढ़ाने में विदेशी पूंजी निवेश से काफी मदद मिली है। इसके द्वारा केवल घरेलू उद्योग को ही लाभ नहीं पहुंचा उपभोक्तकों की उन्नत व तकनीकी प्रबन्ध कुशलता मानव व प्राकृतिक संसाधनों का पूरा उपयोग भारतीय उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्पर्धात्मक बनाने, निर्यात बाजारों को खोलने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान और सेवाएँ जुटाने का भी लाभ प्राप्त हुआ है।

(3) **कृषि उत्पादन में वृद्धि** – वैश्वीकरण और उदारीकरण का लाभ कृषि क्षेत्र में भी पहुंच रहा है, कृषि के क्षेत्र में नवीन तकनीकों के द्वारा खाद्यान्नों का रिकार्ड उत्पादन हो रहा है और देश इस मामले में आत्मनिर्भर हो गया है।

(4) **जीवन की गुणवत्ता** – अब इस बात से काफी प्रमाण उपलब्ध है कि आर्थिक क्षेत्र में वैश्वीकरण और उदारीकरण के कारण तीव्र विकास हो रहा है और इसका प्रभाव गरीबी उन्मूलन पर भी पड़ा है। परन्तु विकास के कुछ ऐसे पहलू भी सामने आ रहे हैं जो क्षेत्र विस्थापन कर सकते हैं और श्रम की स्थिति को कमजोर बना सकते हैं।

(5) **परिवहन एवं संचार क्षेत्र में प्रगति** – यह वैश्वीकरण और उदारीकरण का ही परिणाम है कि आज देश में परिवहन एवं संचार का क्षेत्र लगातार बढ़ता जा रहा है। आज देश में रेलवे स्टेशनों की संख्या

8,500 है। रेलमार्ग की कुल लम्बाई 67,312 कि.मी. है। भारत में सड़को की कुल लम्बाई 52.32 लाख कि.मी. है तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 100,475 कि.मी. है। वर्तमान में देश में कुल यात्री यातायात का 80% व माल यातायात का 65% सड़क परिवहन (राजमार्ग) के जरिए ही होता है। विकासशील देशों में आज भारत के पास सबसे बड़ा जहाजी बेड़ा है और देश का 90% व्यापार समुद्री मार्ग से होता है। संचार के क्षेत्र में भारतीय डाक नेटवर्क विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है। 31 मार्च 2015 तक देश में 1,54,939 डाकघर थे। दूरसंचार के क्षेत्र में भारत जून 2015 की स्थिति के अनुसार लगभग 1,007.43 मिलियन कनेक्शनों से युक्त भारतीय दूरसंचार नेटवर्क विश्व में दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है।

(6) निर्धनता अनुपात में गिरावट – वैश्वीकरण एवं उदारीकरण के फलस्वरूप राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय में सुधार हुआ है। उद्योग-धन्धों के साथ-साथ कृषि उत्पादन में भी वृद्धि हुई। फलस्वरूप देश में निर्धनता के अनुपात में भी धीरे-धीरे गिरावट आ रही है। शिक्षित एवं प्रशिक्षित बेरोजगारों का रोजगार कार्यालय में पंजीयन कर उन्हें अधिसूचित व्यक्तियों की जानकारी प्रदान कर बेरोजगारी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। इस समय देश में 969 रोजगार कार्यालय बेरोजगारों का पंजीकरण करने में लगे हुए हैं जिसका परिणाम निर्धनता के अनुपात में गिरावट भी है।

निजीकरण :- वैश्वीकरण और उदारीकरण का सबसे प्रमुख प्रभाव निजीकरण के रूप में देखने को मिल रहा है। विकसित देशों के विभिन्न उपक्रम निजी संस्थाओं द्वारा चलाए जाते हैं तथा अच्छा लाभ भी कमा रहे हैं। इससे प्रेरित होकर विभिन्न विकासशील देशों में निजीकरण की लहर फैल रही है और धीरे-धीरे विभिन्न उपक्रमों का निजीकरण हो रहा है।

शिक्षा में गुणात्मक व तकनीकी सुधार :- वैश्वीकरण का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है , खासकर तकनीकी शिक्षा में आज परिवहन एवं संचार के साधनों ने विभिन्न देशों की दूरियों को बहुत कम कर दिया है। आज किसी भी देश में शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा में जो सुधार हो रहे हैं। वे बहुत कम समय में दुनिया के अधिकांश देशों तक पहुँचाए जा रहे हैं। जैसे कुछ वर्ष पहले इन्टरनेट से बहुत कम लोग परिचित थे , लेकिन बहुत कम समय में ही दुनिया के विभिन्न देशों में इसका प्रयोग होने लगा है। कम्प्यूटर का प्रयोग अब अधिकांश लोगों द्वारा होने लगा है।

महिला सशक्तीकरण (जागरूकता) :- वैश्वीकरण के इस दौर में आज महिलाएँ अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो गई हैं। परिवहन एवं संचार माध्यमों के तीव्र विकास से भी महिलाओं में ज्यादा जागरूकता आई है। आज महिलाओं ने अपने विकास के लिए विभिन्न समितियाँ भी बना ली हैं। महिलाएँ हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ-साथ काम कर रही हैं। भारतीय महिलाओं ने भी विश्व में अपनी अलग पहचान बनाई है। पुलिस अफसर डॉ. किरण बेदी को आज कौन नहीं जानता , भारतीय मूल की वैज्ञानिक सुनीता विलियम्स अन्तरिक्ष तक पहुँची। भारतीय जनता पार्टी की नेता सुषमा स्वराज एक सफल वक्ता के रूप में विख्यात हैं।

विवाह , परिवार , नातेदारी एवं जातिप्रथा में परिवर्तन :- वैश्वीकरण का उपरोक्त संस्थाओं पर भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। आज विवाह एक धार्मिक संस्कार न रहकर एक सामाजिक उत्सव सा हो गया है। व्यवस्थित विवाहों के स्थान पर प्रेम विवाहों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। विवाह की उम्र भी अब पहले से अधिक बढ़ गई है , बहुविवाहों के स्थान पर एक विवाह का प्रचलन बढ़ रहा है , वैश्वीकरण ने परिवार की संरचना में भी बहुत अधिक परिवर्तन किया है। अब संयुक्त परिवारों का स्थान एकल परिवारों ने ले लिया है जिससे बच्चों पर परिवार का नियंत्रण भी कम रह गया है। एकल परिवारों में माता-पिता अधिकांशतः रोजगार में होते हैं। इसलिए वे बच्चों को समुचित समय नहीं दे पाते हैं। फलस्वरूप बच्चे के सांस्कृतिक विकास में कमी हो रही है।

वर्गों के स्वरूप में परिवर्तन :- वैश्वीकरण ने वर्गों के स्वरूप में भी परिवर्तन कर दिया है। 20वीं सदी तक जहाँ प्रमुख तीन वर्ग थे। उच्च वर्ग , मध्यम वर्ग , निम्न वर्ग लेकिन आज वर्गों की संख्या बहुत अधिक हो गई हर वर्ग के अनेक उपवर्ग हो गए है जैसे – मजदूर वर्ग , कृषक वर्ग , डॉक्टर वर्ग , शिक्षक वर्ग आदि। आय के आधार पर अन्य नए विभिन्न वर्गों का उदय हो रहा है।

वैश्वीकरण स्थानीय सम्बन्ध :- वैश्वीकरण संस्कृति सामान्यता पश्चिमी संस्कृति है। आधुनिकीकरण ने विश्व भर की संस्कृतियों को मिश्रित करने का प्रयास किया है फिर भी इस मिश्रण में पश्चिमी और अमेरिकी संस्कृतियों की प्रधानता होती है। ऐसी अवस्था में जब यह वैश्वीय संस्कृति में वैधता पाने के लिए स्थानीय संस्कृति के साथ अनुकूलन अवश्य करना पड़ता है। जब मानव अधिकार की बात उठती है तब स्थानीय संस्कृति के तत्वों के साथ किसी न किसी प्रकार का अनुकूलन अवश्य करना पड़ता है। सांस्कृतिक वैश्वीकरण के संदर्भ में मुख्य मुद्दा वैश्वीय स्थानीय संस्कृति के सम्बन्धों का है। यहाँ हमें नही भूलना चाहिए कि वैश्वीकरण अपनी बुनियाद में बहुलवादी (plural) है और इस कारण वैश्वीय संस्कृति भी बहुलवादी है। यदि वैश्वीय संस्कृति में वीजा है , गले की टाई है , तो इसी संस्कृति में पकोड़े भी है और साफा और पगड़ी भी है। यह वैश्वीय और स्थानीय विभिन्नता ही सम्पूर्ण प्रक्रिया को बहुलवादी बनाती है।

उपभोक्ता की प्रधानता :- वैश्वीकरण की प्रकृति सजातीय या एकरूपता करने की है विश्वभर के लोग विभिन्नता के होते हुए भी एक जैसे सांचे में ढल जाते है और इस वैश्वीयता की एक और बड़ी तारीफ यह है कि यह विभिन्नता का भी समावेश कर लेती है। यह प्रक्रिया जिस संस्कृति को विश्वभर में समान रूप देती है , वह एक जैसी जीवन पध्दति है। कोई यह नही देखता कि अमुक व्यक्ति को इस बात की आवश्यकता है या नहीं क्योंकि समाज के लिये एक तरह की वस्तुएं जीवन पध्दति बन गयी हैं वैश्वीय वस्तु का उपभोग उसकी उपयोगिता (use value) के कारण नहीं होता इसका उपभोग तो प्रतीकात्मक होता है।

वैश्वीकरण ने विश्वभर में उपभोग करने की बनावटी आवश्यकता को पैदा किया है। आज जिस नये समाज का उद्गम हो रहा है , वह वस्तुतः उपभोग समाज है। इस समाज में धीरे-धीरे एक

लोकप्रीय या पोपूलर (popular) संस्कृति पनप रही हैं। यह संस्कृति नई जनसंस्कृति के रूप में सम्पूर्ण समाज में सजातीय ला रही हैं। इसी संस्कृति ने अन्तर्राष्ट्रीय और घरेलू पर्यटन को बढ़ावा दिया है। पहले लोग विदेश यात्रा अध्ययन या खोज के लिए करते थे अब पर्यटन व्यापार और व्यवसाय का एक अंग बन गया है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति ने भी पर्यटन भी हाल में उपभोग का एक अंग बन गया है।

निष्कर्ष :- वैश्वीकरण और उदारीकरण की वर्तमान प्रक्रिया की सफलता वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा विभिन्न राष्ट्रों के बाजार और उत्पादन पारस्परिक रूप से एक दूसरे पर अधिक निर्भर रहते हैं तथा इस निर्भरता का कारण व्यापार तथा वस्तुओं की गतिशीलता और पूंजी तथा तकनीकी तन्तु का प्रवाहित होता है।

संदर्भ:

- (1) लेखक : डॉ. जी. आर मदन “परिवर्तन एवं विकास का समाजशास्त्र” 327–335 , प्रकाशन विवेक।
- (2) नवभारत “दैनिक भास्कर पत्र 25 दिसम्बर 2010).
- (3) हरिभूमि (सहेली) दैनिक समाचार पत्र दिस. 2011.